

6¹⁰/₂₂

पत्रावली पके हुयी। वादी व वकील वादी
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवायी गयी।
आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी व
ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
वादी का वाद पत्र अदालत हाजरी अदालत में
में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में
शुद्ध होकर नम्बर ले कर होकर दस्तावेज
है।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाठना (सीकर)